

वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक: 1313-C
सेवा में,

दिनांक: 20/01/2023


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:- **Diversion of 0.4760 Ha. (Instead of 0.8066 Ha.) of forest land for lying of water pipeline for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli to Tajnagar, Faridpur to Dhani Ahran via Karola & Farrukhnagar road to Garhi Nathe Khan,, under Forest Divison & Distt. Gurugram. (Proposal No. FP/HR/Water/144418/2021)**

सन्दर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक 9-HRB180/2021-CHA दिनांक 17.01.2023.

सन्दर्भांकित पत्र द्वारा प्रस्तावित केस में डीएसएस की रिपोर्ट अनुसार क्षतिपूर्ति पौधारोपण एरिया Bandhwari Sec 4&5 की के०एम०एल० में केवल 1.87 है० एरिया ही पौधारोपण हेतु पाया गया, जिसके अनुसार 0.36 है० एरिया ओर उपलब्ध करवाने बारे निर्देश प्राप्त हुये। जिसके सन्दर्भ में Bandhwari Sec 4&5 के 0.36 है० एरिया की KML & DGPS पोर्टल पर अपलोड करके पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक/ 1314-C

दिनांक/ 20/01/2023

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक
गुरुग्राम।